<u>न्यायालयः-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—483 / 2005</u> <u>संस्थित दिनांक—29.07.05</u> फाईलिंग क.234503000402005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

_____ — — अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

1—लक्ष्मण पिता माहू लोहार, उम्र—32 वर्ष, निवासी—ग्राम सोनखार, थाना चांगोटोला, जिला बालाघाट म.प्र. 2—शम्भूलाल पिता झकलू, उम्र—57 वर्ष, 3—विष्णुप्रसाद पिता शम्भुलाल, उम्र—35 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम सरेखा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----<u>आमयुप्तागण्</u> / <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक—28 / 06 / 2017 को घोषित)</u>

1— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—509, 294, 323/34, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त लक्ष्मण ने घटना दिनांक—14. 07.05 को शाम 4:00 बजे, ग्राम सरेखा, थाना बैहर में प्रार्थिया सोमकलीबाई के मकान के पास प्रार्थिया सोमकलीबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा का अनादर करने के आशय से अथवा एकांतता का अतिक्रमण करने के लिए 10/—रूपये का नोट दिया तथा एक बार दे जैसे शब्दों का प्रयोग किया, अभियुक्तगण ने प्रार्थी सोमकलीबाई और उसके पित को माँ—बहन की अश्लील गालियां देकर प्रार्थी व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, प्रार्थी के पित अगनू को सह आरोपीगण के साथ उपहित कारित करने के आशय के अग्रसरण में बांस की लाठी से तथा पटककर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की, प्रार्थी तथा उसके पित को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—15.07.05 को फरियादी सोमकलीबाई ने थाना बैहर आकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक—14.07.05 को करीब 4:00 बजे वह घर अकेली थी और उसका पित अगनू गांव में घूमने गया था, तभी उसका पड़ोसी लक्ष्मण उसे 10/—रूपये का नोट दिखाकर बोला कि एक बार करने दे, तब फरियादी सुनकर चुपचाप घर के अंदर चली गई थी। जब फरियादी का पित घर आया तो उसने लक्ष्मण के बारे में उसे बताया। फरियादी का पित लक्ष्मण से बोला कि उसने उसकी पत्नी को ऐसा क्यों कहा, तो लक्ष्मण तथा उसके रिश्तेदार श्राम्भू, विष्णु बोले कि मादरचोद घरवाली की बात पर लड़ता है कहकर शम्भू ने फरियादी के पित को पटक दिया तथा विष्णु ने लकड़ी से तथा लक्ष्मण ने हाथ—मुक्कों से मारपीट की थी। रस्सीबाई तथा छोटू महाराज ने बीच—बचाव किया था। मारपीट से फरियादी के पित को सिर में, बांई आंख में, सीने में दाहिनी पसली में, बांए कंधे तथा कमर में चोट लगी थी। घटना दिनांक को थाना आने का साधन न होने से घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन अपने पित के साथ रिपोर्ट की। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक—83/05, धारा—509, 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

- 3— अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—509, 294, 323/34, 506 भाग—2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूटा फंसाया गया होना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

5— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है</u>:—

- 1. क्या अभियुक्त लक्ष्मण ने घटना दिनांक—14.07.05 को शाम 4:00 बजे, ग्राम सरेखा, थाना बैहर में प्रार्थिया सोमकलीबाई के मकान के पास प्रार्थिया सोमकलीबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा का अनादर करने के आशय से अथवा एकांतता का अतिक्रमण करने के लिए 10 / —रूपये का नोट दिया तथा एक बार दे जैसे शब्दों का प्रयोग किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी

सोमकलीबाई और उसके पित को मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर प्रार्थी व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

- 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी के पति अगनू को सह आरोपीगण के साथ उपहित कारित करने के आशय से अग्रसरण में आहत अगनू को बांस की लाठी से तथा पटककर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

<u>्विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :--

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3

नोटः—साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 6— अगनू अ.सा.2, दानेश्वर अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वे आरोपीगण को जानते है, किन्तु उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 7— अभियोजन साक्षी छोटू शुक्ला अ.सा.1 का कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व सुबह की है। साक्षी को उसके पिता ने बताया था कि अगनू का आरोपी शम्भूलाल के साथ झगड़ा हुआ था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—1 पुलिस को देने से इंकार किया है।
- 8— डॉ. जी.डी. पाहरिया ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—15.07.2005 को सी.एच.सी. बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके समक्ष अगनु को आरक्षक सुरेश क्रमांक—512 थाना बैहर द्वारा मुलाहिजा हेतु लाया गया था। उसने आहत के शरीर पर पांच चोटें पाई थी। साक्षी के मतानुसार आहत को आई चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से 24 घंटे के अंदर आना प्रतीत हो रही थी, जो साधारण प्रकृति की चोट थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 है,

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटे पथरीली जगह में गिरने से आ सकती थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आहत को आई चोटें स्वयं द्वारा कारित की जा सकती है। साक्षी ने स्वीकार किया उक्त चोट शराब पीकर गिरने से भी आ सकती है। इस प्रकार इस चिकित्सीय साक्षी ने आहत को चोटें आना अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया है।

घटना का समर्थन किसी भी साक्षी ने नहीं किया है। सभी अभियोजन साक्षियों ने घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी न होना व्यक्त किया है। अभियोजन द्वारा प्रकरण में परिवादी सोमवतीबाई तथा विवेचक साक्षी के कथन नहीं कराये गये है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अन्य विवेचना कार्यवाहियों को प्रमाणित कराया गया है। घटना के अन्य आहत परिवादी के पति अगनू ने आरोपीगण द्वारा घटना करने से स्पष्ट इंकार कर घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में मात्र चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि प्रकरण में स्वयं आहत अगनू अ.सा.०२ ने अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की घटना करने से इंकार किया है। फलतः अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त लक्ष्मण ने घटना दिनांक-14.07.05 को शाम 4:00 बजे, ग्राम सरेखा, थाना बैहर में प्रार्थिया सोमकलीबाई के मकान के पास प्रार्थिया सोमकलीबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा का अनादर करने के आशय से अथवा एकांतता का अतिक्रमण करने के लिए 10 / - रूपये का नोट दिया तथा एक बार दे जैसे शब्दों का प्रयोग किया तथा अभियुक्तगण ने प्रार्थी सोमकलीबाई और उसके पति को मॉ-बहन की अश्लील गालियां देकर प्रार्थी व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, प्रार्थी के पति अगन् को सह आरोपीगण के साथ उपहति कारित करने के आशय के अग्रसरण में बांस की लाठी से तथा पटककर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, प्रार्थी तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–509, 294, 323 / 34, 506 भाग–2 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन हो।

12. प्रकरण में धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

> सही— **(अमनदीपसिंह छाबड़ा)** न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

> > जिला-बालाघाट

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही— (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

